

प्रेषिका,

शैली राय,
अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
कक्ष संख्या-2, गोण्डा।

सेवा में,

महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गोण्डा।

विषय:- आपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा माह जून 2020 में विदेश भ्रमण हेतु दुबई जाने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर आपत्ति इस आशय की दी गई है कि क्या आपके द्वारा उक्त माह में यात्रा की गई है कि नहीं। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मेरे द्वारा माह जून में अथवा उसके बाद भी कोई विदेश यात्रा नहीं किया गया है।

अस्तु आख्या माननीय जी के सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीया

(शैली राय)

अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
कक्ष संख्या-2, गोण्डा।
दिनांक 04.11.2020

अग्रसारित
04.11.2020